



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-518

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 174610 दिनांक 07/05/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	NARENDRA BHATIA S/o LATE SHRI SHIV DAYAL BHATIA	श्रीमती शशी बाला मीणा पत्नी श्री नरसी लाल मीणा	122	275.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block-B	Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड सं. बी-122 क्षेत्रफल 275.00 व.मी. का पट्टा विलेख श्रीमती शशी बाला मीणा पत्नी श्री नरसी लाल मीणा के पक्ष में दिनांक 01.09.2006 को जारी हुआ। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 18.09.2006 को मैसर्स विजन ज्वैल्स जरिये पार्टनर श्रीमती सुनीता धांधिया के पक्ष में हुआ। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 11.01.2007 को श्रीमती निवेदिता सारडा पत्नी श्री रविन्द्र सारडा के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								पक्ष में हुआ। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 29.01.2024 को श्रीमती राजकुमारी हरकावत पत्नी श्री पदम चन्द हरकावत के पक्ष में हुआ। तत्पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान दिनांक 14.03.2024 को प्रार्थी श्री नरेन्द्र भाटिया पुत्र स्व. श्री शिवदयाल भाटिया के पक्ष में हुआ।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. NARENDRA BHATIA S/o LATE SHRI SHIV DAYAL BHATIA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |